

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT**

No.F6.(272)/Pari/Tax/Hqrs/2004/20 C

Jaipur, Dated : 31-01-2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Rajasthan Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's Notification No.F6.(272)/Pari/Tax/Hqrs/2004/20B, dated 20.07.2006 the State Government hereby, with effect from 1.2.2007, prescribes the rate of **special road tax** on **stage carriages plying exclusively on sub-urban routes** specified in Col. No. 1 of the table appended here-in-below at the rates specified against each in Col. No. 2 thereof :-

TABLE

Description of Transport Vehicle	Monthly rate of special road tax
1	2
Stage carriage plying exclusively on sub-urban routes	
(i) Having seating capacity upto 25 excluding driver & conductor if; (a) Purchased as chassis (b) Purchased with a complete body	0.73% of the cost of the chassis 0.53% of the cost of the vehicle
(ii) Having seating capacity more than 25 excluding driver and conductor if; (1) Purchased as a chassis (a) Ordinary (b) Other than ordinary (2) Purchased with a complete body (a) Ordinary (b) Other than ordinary	0.73% of the cost of the chassis 0.37% of the cost of the chassis 0.50% of the cost of the vehicle 0.25% of the cost of the vehicle

Provided that :-

- (1) The amount of Special Road Tax including Motor Vehicle Tax shall not exceed:-
 - (i) Rs. 1700/- per month for vehicle having seating capacity upto 25 excluding driver and conductor;
 - (ii) Rs. 2500/- per month for Other than ordinary vehicle having seating capacity more than 25 excluding driver and conductor;

- (iii) Rs. 2250/- per month for ordinary vehicle having seating capacity more than 25 excluding driver and conductor;
- (2) In case of vehicles obtaining the fresh permit, the tax shall be payable from the date of issue of permit on pro-rata basis in advance for the remaining period of the month and shall be deposited at the time of issue of permit.
- (3) In addition to tax payable under this notification, there shall be paid by the owner or person having possession or control of a Motor vehicle, any tax or penalty as was payable under this Act for any period prior to the coming into force of this notification at such rates as were applicable to such vehicles from time to time.

Explanation :-

- (i) The cost of the vehicle/chassis for computation of tax shall be as explained under rule 42 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951.
- (ii) The expression "other than ordinary vehicle" for the purpose of rate of tax shall mean a vehicle having specifications prescribed for Deluxe category in rule 7.14 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 and vehicles having specifications of Tourist Permits.
- (iii) The expression "ordinary vehicle" for the purpose of rate of tax shall mean a vehicle which is not "other than ordinary vehicle".

By Order of the Governor

(Dinesh Yadav)
Deputy Secretary to Government

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ.6(272) परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20 सी जयपुर, दिनांक : 31.01.2007

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(272) परि/टैक्स/एच.क्यू/2004/20बी, दिनांक 20.7.2006 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, दिनांक 1.2.2007 से, इसके साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ सं. 1 में विनिर्दिष्ट उप-नगरीय मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाड़ियों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तम्भ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है:-

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1.	2.
उपनगरीय मार्गों पर अनन्य रूप से चलने वाली मंजिली गाड़ियां	
(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 तक की सीट क्षमता वाली हो; यदि :	
(क) चैसिस के रूप में क्रय की गयी हो	चैसिस की लागत का 0.73%
(ख) सम्पूर्ण बाडी सहित क्रय की गयी हो	यान की लागत का 0.53%
(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाली हो, यदि :	
(1) चैसिस के रूप में क्रय की गई हो	
(क) सामान्य	चैसिस की लागत का 0.73%
(ख) सामान्य से भिन्न	चैसिस की लागत का 0.37%
(2) सम्पूर्ण बाडी सहित क्रय की गयी हो	
(क) सामान्य	यान की लागत का 0.50%
(ख) सामान्य से भिन्न	यान की लागत का 0.25%

परन्तु :-

- (1) मोटर यान कर को सम्मिलित करते हुए विशेष सड़क कर की रकम -
- (i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 तक की सीट क्षमता वाले यान के लिए 1700/-रु. प्रतिमाह ;
- (ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाले सामान्य यान से भिन्न यान के लिए 2500/-रु. प्रतिमास ;

- (iii) ड्राईवर और कण्डक्टर को छोड़कर 25 से अधिक की सीट क्षमता वाले सामान्य यान के लिए 2250 /—रु. प्रतिमास ;
से अधिक नहीं होगी।
- (2) नये परमिट अभिप्राप्त करने वाले यानों के मामले में कर, परमिट जारी करने की तारीख से, मास की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक आधार पर अग्रिम रूप से संदेय होगा और परमिट जारी किये जाने के समय जमा कराया जायेगा ;
- (3) किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा, इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, कोई भी ऐसा कर या शास्ति, जो इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय थी, ऐसी दरों पर संदत्त की जायेगी जो समय—समय पर ऐसे यानों पर लागू थीं।

स्पष्टीकरण :-

- (i) कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन बतायी गयी है।
- (ii) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सामान्य यान से भिन्न" से राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 7.14 में डीलक्स प्रवर्ग के लिए विहित विनिर्देश रखने वाले यान और पर्यटक परमिटों के विनिर्देश रखने वाले यान अभिप्रेत हैं।
- (iii) कर की दर के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सामान्य यान" से ऐसा यान अभिप्रेत है जो "सामान्य यान से भिन्न" नहीं है।

राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव